

कार्यालय, अंचल अधिकारी, गारु।

आदेश का उद्घरण

विविध वाद सं० 14 वर्ष 2022-23

में पारित आदेश के आलोक में राजस्व उपनिरीक्षक/अंचल निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि आवेदक/आवेदिका श्रीमती नरेशा देवी पिता/प्रति श्रीमती सुश्री साव ग्राम सरजू थाना गारु जिला बागेश्वर के नाम से निम्नांकित भूमि का मांग पंजी 02 में हाल सर्वे खतियान के आधार पर मांग कायम करते हुए एक सप्ताह के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें तथा बकाया लगान की वसूली करें।

भूमि का विवरण

ग्राम थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा ए० डी०	लगान रू० पै०
<u>धाली रोहा</u> 15	72	255	0.81 ए०	10.00 270 टोष अलावे

लक्ष्मी
27-09-22
अंचल अधिकारी
गारु।